प्रेस नोट दिनांक 13.11.2021 जनपद मेरठ।

थाना मवाना पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाडी करने वाले दो अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

दिनांक 2021/11/13 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मवाना के निर्देशन मे चलाये गये अभियान के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मवाना खुर्द में सट्टे की खाई बाडी करने वाले दो अभियुक्तगण .1योगेश उर्फ जानी पुत्र रमेशचन्द्र .2निवासीगण ग्राम मवाना खुर्द थाना मवाना मेरठ को .1सट्ट पर्चा व 855 रु 0नगद एक पैन व एक गत्ता के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना हाजा पर मु 0सं0अ0 अभियुक्तगणो .जी एक्ट पंजीकृत किया गया13 धारा 2021/510 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगीः-सट्टा पर्चा व 855 रु 0नगद व एक पैन

MEERUT POLICE

साईबर क्राइम सेल (क्राइम ब्रान्च) जनपद मेरठ।

दिनांक 13.11.2021 को साइबर सैल द्वारा की गयी कार्यवाही से लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की कुल धनराशि 29900 (उनतीस हजार नौ सौ रूपये) /– रूपये आवेदक के खातों में वापस कराये गये:–

1.आवदिका अपर्णा वत्स निवासी सी0–5 गणपति अपार्टमेन्ट पंचवटी कालोनी गंगानगर थाना–गंगानगर जनपद मेरठ के द्वारा प्रार्थाना पत्र दिया गया था जिसमें आवेदिका के साथ अज्ञात कॉलकर्ता आवेदिका के खातों की जानकारी कर 29900/– रूपये की ठगी की गयी थी। जिसमें **साइबर क्राइम सैल जनपद मेरठ के द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुये कुल धनराशि 29900 (उनतीस हजार नौ रूपये) आवेदिका के खातों में वापस** कराये गये।

थाना जानी पुलिस द्वारा लडकी के परिजनो की तलाश कर सुपुर्द किया गया।

थाना जानी पुलिस के द्वारा आज दिनांक 13.11.21 को समय 11.30 बजे गस्त के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित लौहड्डा उर्फ लहर्रा गाँव के पास एक लडकी मिली जो रास्ता भूल गई थी तथा अपना व अपने माता-पिता का नाम तथा निवासी गाजियाबाद बता रही थी। उपरोक्त लडकी के परिजनो की पहचान हेतु थाना पुलिस के द्वारा भरसक प्रयास करते हुये आस पास के गाँव व थानो व समीपवर्ति जनपद गाजियाबाद से सम्पर्क कर परिजन निवासी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद की पहचान सुनिश्चित करते हुये लडकी को परिजनो के सुपुर्द किया गया। परिजनो के द्वारा अपनी बेटी मिल जाने पर थाना पुलिस की भूरि भूरि प्रसंशा की।

MEERUT POLICE

थाना सरधना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 781/2021 धारा 379 आईपीसी का मात्र तीन घण्टे के अन्दर सफल अनावरण

अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2021 को वादी मुकदमा श्री संजय पुत्र कुँवरपाल सिंह निवासी ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ का एक अदद ट्रेक्टर महेन्द्रा 265 डीआई रजि0 नं0 यूपी-15 बीडी-3488 रंग लाल अज्ञात चोरो द्वारा वादी के फार्म से चोरी कर लिया था। उक्त सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 781/2021 धारा 379 आईपीसी दिनाँक 12.11.2021 को समय 21.30 बजे पंजीकृत हुआ।

आज दिनांक 13.11.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक देहात जनपद मेरठ व क्षेत्राधिकारी सरधना व प्रभारी निरीक्षक थाना सरधना के कुशल निर्देशन मे थाना सरधना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 781/2021 धारा 379 आईपीसी का तीन घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये में अभियुक्तगण 1. अरूण पुत्र सुरेश सिंह नि0 ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ व 2. जितेन्द्र पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ को मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये एक अदद ट्रेक्टर महेन्द्रा 265 डीआई रजि0 नं0 यूपी-15 बीडी-3488 लाल रंग के सलावा से मौहम्मदपुर लोहडा मार्ग पीर से पहले दिनाँक 13.11.2021 को समय 00.15 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी होने पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण अरूण व जितेन्द्र उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अरूण पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ
2. जितेन्द्र पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ

बरामदगी

एक अदद ट्रेक्टर महेन्द्रा 265 डीआई रजि0 नं0 यूपी-15 बीडी-3488 लाल रंग

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरूण

मु0अ0सं0 781/2021 धारा 379,411 आईपीसी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जितेन्द्र

मु0अ0सं0 781/2021 धारा 379,411 आईपीसी

प्रेस नोट थाना किठौर जनपद मेरठ

थाना किठौर जनपद मेरठ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 451/2021 धारा 307,323,504,506 आईपीसी में वांछित अभियुक्त जसवीर पुत्र चैन सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर बांगर थाना किठौर जनपद मेरठ को थाना किठौर पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2021 को अभियोग उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 462/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम जसवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को आज दिनांक 13.11.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना इंचौली

थाना इंचौली पुलिस द्वारा अभियुक्त रवि पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना इंचौली मेरठ को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 04 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की गयी है।

MEERUT POLICE

<u>थाना भावनपुर</u>

थाना भावनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अक्षय सैनी पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम पचपेडा थाना भावनपुर मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते हुए मय पर्चा सट्टा, गत्ता, पेंसिल व 1890/-रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की गयी है।

MEERUT POLICE